न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–54/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. किशोरी पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम
2. शांति पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति ओड राजपूत निवासी ग्राम सालमपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0,

..... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर राज0
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर कम मैनेजिंग ऑफिसर(कस्टोडियन) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

..... रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री सतीश जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका ,राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 17 रकबा 11 बिस्वा, 200 रकबा 1.08 बीघा, 201 रकबा 2.16 बीघा किता 3 रकबा 4.15 वाके ग्राम सालमपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नंबर 10 मिन, 9 मिन, 126 व 127 थे। उक्त आराजी के संबंध में वादीगण अपीलांट की ओर से प्रतिवादीगण रेस्पो0 के खिलाफ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 पारित कर तहत अदालत खारिज किया गया है। जिस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी वादीगण अपीलांटस के पिता श्री जुम्माराम को सन 1951–52 में दीगर आराजीयात के साथ अलॉट हुई थी, और वक्त अलॉटमेन्ट कब्जा मौके पर दिया गया था तथा वक्त अलॉट से ही वादीगण अपीलांटस का पिता जुम्माराम अपने जीवनकाल तक विवादित आराजी पर काबिज रहा। वादीगण अपीलांटस के पिता की मृत्यु 05.09.2008 को होने के बाद वादीगण अपीलांटस ही बहैसियत वारिस काबिज जायदाद काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजी के साथ ही वादीगण अपीलांटस के पिता को दीगर आराजी खसरा नंबर 81, 82, 83, 202, 232 किता 5 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सालमपुर भी अलॉट हुई थी। जिसका सनद पटटा जारी होकर खातेदारी में दर्ज हो गई। और विवादित आराजी का सहबन से सनद पटटा जारी होने से रह गया। जिससे विवादित आराजी खातेदारी में दर्ज न होकर साकिन देह पटटेदार साल 41 मि0 जा0 पुनर्वास विभाग दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त विवादित आराजी का कीमत कर्जा उसी समय उपरोक्त आराजीयात के साथ ही जमा कर दी गई थी। और उसी समय से उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं तथा कोई बकाया कर्जा कीमत नही है।प्रतिवादीगण रेस्पो0 द्वारा उक्त खिलाफ कानून व मौका व साक्ष्य राजस्व रिकार्ड के अंकन को दुरूस्त करने से मना कर दिया। जबकि वादीगण अपीलांटस को विवादित आराजी के कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये वादीगण अपीलांटस को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर उनके नाम का अंकन बहैसियत खातेदार ताहाल राजस्व रिकार्ड में किया जाना तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना, कि वादीगण अपीलांटस के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें। पटवारी हल्का द्वारा किसी अन्य का कब्जा मानकर रिपोर्ट दिनांक 01.09.2015 को तैयार की गई है। जबकि खसरा गिरदावरी के अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण अपीलांटस का कब्जा प्रमाणित होता है। इसलिये वादीगण अपीलांटस विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण अपीलांटस का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटस विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात को वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून तथ्य, साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तो एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व कस्टोडियन नियमों के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 निरस्त फरमाई जावे।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार का कथन है कि उक्त विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार

अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा भी नही हैं। गिरदावरी मौके के अनुसार नही है। रसीद में आराजी खसरा नंबर का अंकन नही है।पटटे में उक्त आराजी का अंकन ही नही है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मिलान क्षेत्रफल 2014 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 127 रकबा 1.08 बीघा से हाल खसरा नम्बर 200 रकबा 1.08 बीघा, साबिक खसरा नं 126 रकबा 2.16 बीघा से हाल खसरा नम्बर 201 रकबा 2.16 बीघा एवं साबिक खसरा नं 10 मिन रकबा 0.10 व 9 मिन रकबा 0.01 बीघा से हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 0.11 बीघा बनना प्रमाणित होता है। नकल जमाबंदी संवत 2008 के अनुसार साबिक खसरा126 व 127 पर जुम्माराम पुत्र रंगूराम का अंकन दर्ज है। जमाबंदी संवत 2014 भूप्रबंध विभाग में आराजी खसरा नम्बर 17, 200, 201 पर जुम्माराम पुत्र रंगूराम कौम राजपूत साकिनदेह मु0 4 साल का अंकन दर्ज है। इसके उपरान्त जमाबंदी संवत 2035–38, जमाबंदी संवत 2044–47 एवं जमाबंदी संवत 2028–51 व जमाबंदी संवत 2055–55 जुम्माराम पुत्र रंगूराम कौम राजपुत साकिनदेह पटटेदार पुर्नवास विभाग का अंकन दर्ज है। जमाबंदी संवत 2068–71 में जुम्मा पुत्र रंगूराम जाति राजपुत साकिनदेह पटटेदार साल 41 मि. जा. पुर्नवास विभाग का अंकन दर्ज है। उक्त रिकॉर्ड से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात कस्टोडियन भूमि है।

कब्जे के समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत 2015–18 खसरा गिरदावरी संवत 2020, खसरा गिरदावरी संवत 2028–31, खसरा गिरदावरी संवत 2033–35, खसरा गिरदावरी संवत 2041–44 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2068–71 पत्रावली पर उपलब्ध है जिनमें वादीगण के पिता जुम्मा पुत्र रंगूराम का काश्त का अंकन दर्ज है। उपरोक्त खसरा गिरदावरियों से वादीगण के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। वादीगण के पिता को आराजीयात का सनद पटटा जारी होकर खातेदारी में दर्ज हो गई और आराजी मुतनाजा का सहबन से पटटा जारी होने से रह गया। जिससे यह आराजी खातेदारी में दर्ज न होकर साकिनदेह पटटेदार साल 41 मि.जा. पुनर्वास विभाग दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त आराजीयात की कर्जाकिमत उसी समय उपरोक्त आराजीयात के साथ ही जमा करा दी गई थी।

पत्रावली में संलग्न नजराने से संबंधित खाता आराजी जो कि गैरदावेदार विस्थापित व्यक्ति को राज0 सरकार द्वारा नजराने पर दी गई से अंकित आराजी का मिलान अपील में शेष रही आराजीयात से किया गया परन्तु उसमें शेष आराजी के खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। यद्यपि "खाता बेवाक हो चुका है" का अंकन है, इस कैफियत में शेष खसरा नम्बर का अंकन नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं हो पाता है कि शेष रही आराजीयात का भी नजराना भी जमा करा दिया है या नहीं?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक की रचना करते हुए विधि अनुसार सही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री

दिनांक 07.05.2018 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 19.2.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर